संख्या-35/2020/936/58-2020-182/2016

प्रेषक,

बी0एल0मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

उद्यान अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 22 जून, 2020

विषयः- **वर्ष 2020-21 में पौध रोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य 25.00 करोड़ के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु समस्त शासकीय विभागों एवं अन्य सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों तथा अन्य को उद्यान विभाग द्वारा अपनी पौधशालाओं से निःशुल्क वनीय पौधों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 के पत्र संख्या-1707/81-5-2020-67/87-टी0सी0-1, दिनांक 11 जून, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2020-21 में कराये जा रहे पौध रोपण हेतु उद्यान विभाग द्वारा निःशुल्क वनीय पौधे प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं। जिसके क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या- 1580/81-5-2020-06/2019 दिनांक 08-05-2020 (संलग्नक-1) के द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को कुल 60.80 लाख पौधों के वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। जिनको दिशा निर्देश (संलग्नक-2) के अनुसार प्रदेश के राजकीय प्रक्षेत्रों/समस्त शासकीय विभागों/मा0 उच्च न्यायालय परिसरों/कृषकों/संस्थाओं/व्यक्तियों/निजी एवं शासकीय शिक्षण संस्थाओं/भारत सरकार के विभाग एवं उपक्रम/स्थानीय निकायों यथा- ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, प्राधिकरण आदि/रेलवे रक्षा/औद्योगिक इकाईयों/सहकारी समितियों एवं अन्य को उद्यान विभाग की पौधशाला से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(बी0एल0मीणा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-35/2020/936(1)/58-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
2- समस्त उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
3- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5- गोपन अनुभाग-1

आज्ञा से,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या–1580/81–5–2020–06/2019

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 8 मई, 2020

विषयः–प्रदेश में वर्ष 2020–21 में 25.00 करोड़ पौधों के रोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–881/81–5–2019–03/2019, दिनांक 21.11.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जो कि वर्ष 2020–21 के वृक्षारोपण लक्ष्य के निर्धारण से संबंधित है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य वन नीति–2017 के प्रस्तर–2, 4 में हरित आवरण में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा व्यापक स्तर पर जन सामान्य विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, दिव्यांगों, दृष्टिबाधित, पूर्व सैनिकों, समाज के अल्प आय वाले व्यक्तियों एवं वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों के सहयोग से वानिकी को जन आन्दोलन बनाये जाने का ही विकल्प है।

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट–2019 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादन एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के वनावरण में 126.65 वर्ग0 किमी0 की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण सफल वृक्षारोपण गतिविधियां तथा संरक्षण हेतु किये गये प्रयास हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020–21 में भी वर्ष 2019–20 की भांति समस्त विभागों का समावेश करते हुये जन आन्दोलन के रूप में सबकी जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुये वृहद स्तर पर 25.00 करोड़ पौधों का रोपण किया जाय।

3– राज्य वन नीति–2017 के अनुसार प्रदेश में वनावरण व वृक्षावरण में वृद्धि हेतु आवश्यक है कि वृहद स्तर पर आगामी वर्षों में वृक्षारोपण किया जाए तथा रोपित पौधों की अधिकाधिक सफलता सुनिश्चित की जाय। रोपण हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त पौध (क्वालिटी प्लान्टिंग मैटेरियल) उपलब्ध कराने के दृष्टिगत अगामी वर्षों के लिए वृक्षारोपण एवं पौध उगान हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

4– उक्त के दृष्टिगत वर्ष 2020–21 हेतु 25.00 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य संदर्भित शासनादेश दिनांक 21.11.2019 द्वारा निर्धारित है, जिसमें उद्यान विभाग का जनपदवार विवरण संलग्न किया जा रहा है।

5– वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्न रणनीति अपनाई जा रही है:–

- **ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण की रणनीतिः**

(क) ग्राम पंचायतः प्रदेश व्यापे वृक्षारोपण अभियान की मूल इकाई ग्राम पंचायत है।

(ख) **माइक्रोप्लान (सूक्ष्म नियोजन):** समस्त ग्राम पंचायतों में विभिन्न भूमि यथा सामुदायिक, नहर, रोड, स्कूल प्रांगण, निजी कास्त आदि की भूमि पर ग्रामीणों की इच्छानुसार वृक्षारोपण हेतु सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लान) तैयार किये गये हैं।

(ग) ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत को नोडल इकाई मानते हुये उसके स्तर से मनरेगा गाईडलाइन्स के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण कार्य के तकनीकी स्वरूप को देखते हुये हल्का वन रक्षक को ग्राम पंचायत में विशिष्ट आमंत्री के रूप में नामित किया जायेगा।

(घ) **'वृक्ष अभिभावक' (Tree Guardian):** ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु विभिन्न विभागों व ग्रामीणों के मध्य संवाद स्थापित कर रोपण कार्य पूरा कराने व सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिये एक 'वृक्ष अभिभावक' (Tree Guardian) मनोनीत किया जायेगा। इन्हें भी भुगतान मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

(ब) शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की रणनीतिः

शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु तैयार की गई नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतवार माईक्रोप्लान से आवास विकास, नगर विकास, उद्योग, औद्योगिक विकास, रक्षा, रेलवे एवं परिवहन विभाग के लक्ष्य समायोजित होंगे।

5- 25.00 करोड़ पौधरोपण हेतु वन एवं वन्यजीव विभाग की पौधशालाओं में 40.00 करोड़ पौधे तैयार किये जा रहें हैं।

उक्त के क्रम में अपेक्षित है कि उद्यान ~~स्वास्थ्य~~ विभाग द्वारा रोपित किये जाने वाले 60.00 ~~80.00~~ लाख पौधों के सापेक्ष शत–प्रतिशत अग्रिम मृदा कार्य (गड्ढा खुदान, सुरक्षा एवं सिंचाई व्यवस्था) 15 मई, 2020 तक पूर्ण कर लिया जाय, ताकि शासकीय आदेश के अनुसार स्थलवार वृक्षारोपण एक्सन प्लान दिनांक 31 मई, 2020 तक निरूपित हो सके तथा लक्ष्यों के पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही समय की जा सके।

अतः अनुरोध है कि उद्यान ~~स्वास्थ्य~~ विभाग के वृक्षारोपण लक्ष्यों के शत–प्रतिशत प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश सम्बन्धित जनपदीय स्तरीय अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1580(1)/81–05–2020, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संलग्नक: यथोक्त

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0

प्रदेश में वर्ष 2020–21 में वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धी दिशा निर्देश

पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश का अधिक से अधिक भू–भाग हरा–भरा हो वनों एवं वृक्षों से निरन्तर लाभ प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन नीति–1988 एवं राज्य वन नीति–2017 के अनुसार प्रदेश का एक तिहाई भू–भाग वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित हो। इस उद्देश्य को पूरा किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन आन्दोलन के रूप में सबकी जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित की जाये। प्रदेश में वर्ष 2020–21 में कराये जा रहे समस्त वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन आन्दोलन के रूप में क्रियान्वित करने हेतु कृषकों का सहयोग लिया जाना आवश्यक है। पौधों के रोपण से पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ कृषकों की आय में भी वृद्धि की जा सकेगी। कृषकों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराये जाने से वृक्षारोपण कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी।

2. उद्देश्य

वृक्षारोपण अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है:–

- प्रदेश के वनावरण व वृक्षावरण में वृद्धि।
- पर्यावरण संरक्षण।
- वन क्षेत्र बढ़ने का कारण वृक्षारोपण कार्यक्रम व वनों की सुरक्षा।
- जन सहयोग से वानिकी को जन आन्दोलन बनाया जाना।
- कृषकों की आय में वृद्धि।

3. दिशा निर्देश का प्रभावी अवधि

वृक्षारोपण कर वनावरण व वृक्षावरण को बढ़ाया दिये जाने विषयक यह दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रभावी रहेगा।

4. पौध रोपण लक्ष्य

वर्ष 2020–21 में जन सहभागिता एवं समाज के विभिन्न वर्गों के एकजुट प्रयास से किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु विभाग को 60.83 लाख पौधों को रोपित किये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसको जन सहभागिता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा।

5. वृक्षारोपण के लिये भूमि

वृक्षारोपण हेतु निम्न प्रकार की भूमि का उपयोग किया जा सकता है–

प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों/मा0 उच्च न्यायालय परिसरों/कृषकों/संस्थाओं/व्यक्तियों/निजी एवं शासकीय शिक्षण संस्थाओं/भारत सरकार के विभाग एवं उपक्रम/स्थानीय निकायों यथा–ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, प्राधिकरण आदि/रेलवे/रक्षा/औद्योगिक इकाईयों/सहकारी समितियों की भूमि पर रोपण लिया जा सकता है।

6. जिला वृक्षारोपण समिति

जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति गठित है, जिसके संयोजक संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक/सामाजिक वानिकी हैं तथा जिला उद्यान अधिकारी इसके सदस्य हैं। वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करने हेतु समिति का मुख्य दायित्व समन्वय नियोजन एवं नियमित अनुश्रवण करना होगा। जिला उद्यान अधिकारी जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से जनपद में वृक्षरोपण कार्यक्रम हेतु तैयार माइक्रोप्लान के अनुसार वांछित पौधों को उपलब्ध कराकर अपने जनपद के आवंटित लक्ष्यों को शत–प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समय से रणनीति तैयार कर वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। जिला उद्यान अधिकारी निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से वृक्षारोपण से संबंधित तैयारी करेगी। मण्डल स्तर पर उपनिदेशक उद्यान द्वारा भी वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

7. वृक्षारोपण का क्रियान्वयन

वृक्षारोपण का क्रियान्वयन दो श्रेणियों में किया जायेगा।

7.1 श्रेणी–1 फलदार कलमी पौधों का रोपण:–

श्रेणी–1 में विभागीय पौधशालाओं में उपलब्ध फलदार कलमी पौधों को विभागीय दरों पर विक्रय किये जायेंगे। वृक्षारोपण के लक्ष्य को निम्न प्रकार कृषक एवं स्थल चयन कर समायोजित होंगे।

- विभागीय प्रक्षेत्रों/पौधशालाओं/सार्वजनिक उद्यान में रिक्त भूमि पर फलदार कलमी पौधों का वृक्षारोपण कराये।
- ऐसे कृषक/व्यक्ति जिनके द्वारा वृक्षारोपण स्वयं के संसाधन से क्रय करके किया जायेगा।
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत लाभार्थियों को चयन करते हुए वृक्षारोपण कराये।
- मनरेगा अन्तर्गत मुख्यमंत्री जलोद्यान योजना अन्तर्गत चयनित कृषकों के यहाँ वृक्षारोपण कराये।

7.2 श्रेणी–2 वनीय पौधों का रोपण

वनीय पौधों का रोपण प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5 के पत्र संख्या– 1707/81–5–2020–67/87–टी0सी0–1, दिनांक 11 जून, 2020 द्वारा दिनांक 9–6–2020 को मा0 मंत्री परिषद की सम्पन्न बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप प्रदेश में वर्ष 2020–21 में कराये जा रहे पौध रोपण हेतु उद्यान विभाग द्वारा निःशुल्क वनीय पौधे प्रदान किये जाने को निर्देशित किया गया है। वनीय पौधों में *(अम्लतद, आंवला, नींबू, बेल, बेर, सहजन, जामुन, कटहल, शरीफा, करौंदा व अन्य)* सम्मिलित है। वृक्षारोपण के लक्ष्य को निम्न प्रकार कृषक एवं स्थल चयन कर समायोजित होंगे।

प्रदेश के वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि यथा– वन भूमि/शासकीय भूमि/सामुदायिक भूमि/आद्र भूमि/शिक्षण संस्थाओं की भूमि (दिव्यांग विद्यालयों/दृष्टिबाधित विद्यालयों आदि को सम्मिलित करते हुए)/छावनी की भूमि/रेलवे के भूमि/गोवंश के संरक्षण हेतु निर्मित किये जा रहे गौशाला की भूमि/कृषकों की भूमि पर तथा अन्य प्रकार की भूमि पर राजकीय विभागों को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष पौध रोपण का कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर निरूपित किये गये माइक्रो प्लान्स के अनुसार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा।

8– निःशुल्क पौध उपलब्ध कराया जाना:

प्रमुख सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5 के पत्र संख्या– 1707/81–5–2020–67/87–टी0सी0–1 दिनांक 11 जून, 2020 द्वारा " वनीय पौधों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में जनपद में वृक्षारोपण कार्य हेतु आवंटित लक्ष्य 60.80 लाख पौधों को विभागीय पौधशालाओं से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से उद्यान विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क दिये जाने वाले पौधों का विवरण/लेखा जोखा एक अलग पंजिका में दर्ज कर सुरक्षित रखा जाय तथा रोपित किये जाने वाले पौधों की पर्याप्त देख–रेख नियमों/मानकों के अनुसार सुनिश्चित की जाय।"

9. प्रशिक्षण

पौध रोपण हेतु ग्राम प्रधान वृक्ष अभिभावक ग्राम स्तरीय कार्मिक कृषक एवं अन्य इच्छुक व्यक्ति/संस्था को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

10. वृक्षारोपण पूर्ण करने की समय सीमा

वर्ष 2020–21 में वृक्षारोपण का कार्य वर्षाकाल से प्रारम्भ करते हुए माह सितम्बर, 2020 तक लगभग 90 प्रतिशत तथा मार्च, 2021 तक शत–प्रतिशत पूर्ण कराया जाना निश्चित किया गया है। अतः वृक्षारोपण के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभार्थी चयन, स्थल चयन, गड्ढों की खुदाई माह अगस्त 2020 तक एवं पौध उपलब्ध कराने का कार्य माह अगस्त माह में ही जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से करा लिया जाये।

11. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

वृहद वृक्षारोपण वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत राजकीय पौधशालाओ पर उत्पादित पौधों को जनपद के वन विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर अपलोड कराये तथा जिला वृक्षारोपण समिति के सहयोग से जिला उद्यान अधिकारी द्वारा वृक्षारोपण के रख–रखाव पर विशेष बल दिया जाये क्योंकि रोपण से अधिक महत्वपूर्ण रोपित पौधों की सुरक्षा कार्य है। वर्ष 2020–21 में वृक्षारोपण कार्यों के स्थलीय सत्यापन हेतु आवश्यक व्यवस्था निम्न प्रकार से की जाये:–

11.1 वृक्षारोपण के कार्यों का स्थलीय सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से अन्तर्विभागीय जांच समितियां गठित कर अथवा सेक्टर एवं जोनल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

11.2 मण्डलीय उपनिदेशक उद्यान द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन अपने निर्देशन में सम्पन्न कराते हुए प्रगति से निदेशालय को अवगत करायेंगे।

12. अन्तर्विभागीय समन्वय के लिये समीक्षा

अन्तर्विभागीय समन्वय को समीक्षा हेतु जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा पाक्षिक बैठक, मण्डलायुक्त द्वारा मासिक अनुश्रवण प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में समस्त कार्यवाही विभागों की अन्तर्विभागीय समिति के माध्यम से समीक्षा एवं जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों की पाक्षिक/ साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समीक्षा की जायेगी। निदेशालय स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा भी की जायेगी।

संलग्नक

क्र0 सं0	जनपद का नाम	सदान विभाग
		बीघा सं0
1	2	3
1	मेरठ	64200
2	बागपत	29900
3	गाजियाबाद	14900
4	हापुड़	25100
5	गौतमबुद्ध नगर	11900
6	बुलन्दशहर	94500
	मेरठ मण्डल	240500
7	सहारनपुर	93900
8	मुजफ्फरनगर	72000
9	शामली	27200
	सहारनपुर मण्डल	193100
10	आगरा	93900
11	मैनपुरी	67800
12	मथुरा	81600
13	फिरोजाबाद	59900
	आगरा मण्डल	303200
14	अलीगढ़	95000
15	हाथरस	44100
16	एटा	61400
17	कासगंज(काशीरामनगर)	47300
	अलीगढ़ मण्डल	247800
18	मुरादाबाद	53100
19	सम्भल	60600
20	रामपुर	59800
21	अमरोहा	55600
22	बिजनौर	121600
	मुरादाबाद मण्डल	350700
23	बरेली	104000
24	बदायूं	110400
25	पीलीभीत	96400
26	शाहजहांपुर	114700
	बरेली मण्डल	425500
27	प्रयागराज	144400
28	कौशाम्बी	45100
29	फतेहपुर	108100
30	प्रतापगढ़	95200
	प्रयागराज मण्डल	392800

क्र० सं०	जनपद का नाम	उद्यान विभाग
		पौध सं०
31	वाराणसी	37100
32	चन्दौली	64900
33	गाजीपुर	86500
34	जौनपुर	105700
	वाराणसी मण्डल	**294200**
35	संतरविदासनगर	25700
36	मिर्जापुर	115700
37	सोनभद्र	173400
	मिर्जापुर मण्डल	**314800**
38	गोरखपुर	86600
39	महाराजगंज	74900
40	देवरिया	65000
41	पडरौना (कुशीनगर)	76000
	गोरखपुर मण्डल	**302500**
42	बस्ती	72300
43	संतकबीरनगर	44800
44	सिद्धार्थनगर	77900
	बस्ती मण्डल	**195000**
45	आजमगढ़	113300
46	मऊ	44000
47	बलिया	77000
	आजमगढ़ मण्डल	**234300**
48	लखनऊ	59900
49	रायबरेली	101500
50	हरदोई	157900
51	उन्नाव	120800
52	सीतापुर	152500
53	लखीमपुर–खीरी	202700
	लखनऊ मण्डल	**795300**
54	अयोध्या	66100
55	अम्बेडकर नगर	61200
56	सुल्तानपुर	69700
57	बाराबंकी	101900
58	अमेठी	60700
	अयोध्या मण्डल	**359600**
59	गोण्डा	104200
60	बलरामपुर	82700
61	श्रावस्ती	45800
62	बहराइच	126100
	देवीपाटन गोण्डा मण्डल	**358800**

क्रम सं0	जनपद का नाम	उद्यान विभाग
		पौध सं0
63	कानपुर नगर	71000
64	कानपुर देहात	78700
65	फर्रुखाबाद	55000
66	कन्नौज	51900
67	इटावा	58400
68	औरैया	50500
	कानपुर मण्डल	**365500**
69	झांसी	118800
70	ललितपुर	122800
71	जालौन	112700
	झांसी मण्डल	**354300**
72	हमीरपुर	91900
73	महोबा	73000
74	बांदा	107400
75	चित्रकूट	79800
	चित्रकूट मण्डल	**352100**
	महायोग	**5080000**